सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

राजकीय आश्वासन समिति

का

359वाँ प्रतिवेदन

(स्वास्थ्य विभाग)

(दिनांक 25.07.2016 ई0 को सदन में उपस्थापित)

बिहार विधान सभा

की

राजकीय आश्वासन समिति प्रशाखा द्वारा प्रकाशित ।

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	प्राक्कथन	क
2.	राजकीय आश्वासन समिति के मा० सदस्यों एवं समिति के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची ।	ख
3.	आश्वासनों की सूची	ग
4.	प्रतिवेदन्	1-9
5.	परिशिष्ट	10-27

प्राक्कथन

मैं सभापति, राजकीय आश्वासन समिति की हैसियत से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न वर्षों के कुल 09 आश्वासनों के कार्यान्वयन से संबंधित राजकीय आश्वासन समिति का 359वाँ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

इस प्रतिवेदन में सन्निहित आश्वासनों को समिति की दिनांक 05 जनवरी, 2024 की बैठक में समीक्षोपरान्त कार्यान्वित माना गया तथा इस प्रतिवेदन को समिति की दिनांक 26 मई, 2025 की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

संसदीय लोकतंत्र में विधायकगण, विधानमंडल में जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जन-प्रतिनिधि द्वारा जनहित के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसपर सरकार का आश्वासन होता है ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 284 के तहत गठित राजकीय आश्वासन समिति, सरकार द्वारा सदन में दिये गये ऐसे आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और वचनों आदि के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ कार्य करती है तथा कार्यान्वित आश्वासनों से संबंधित प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करती है।

इन आश्वासनों के कार्यान्वयन में विभागीय पदाधिकारियों तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ ।

दामोदर रावत,

सभापति,
राजकीय आश्वासन समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ख

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा के राजकीय आश्वासन समिति की वर्ष 2025–26 के माननीय सदस्यों की सूची--

सभापति

1. श्री दामोदर रावत	स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री संजय कुमार गुप्ता	स०वि०स०
2. श्री सुदर्शन कुमार	स०वि०स०
3. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह	स०वि०स०
4. श्री गोपाल रविदास	स०वि०स०
5. श्री उमाकांत सिंह	स०वि०स०
6. श्री विशाल प्रशांत	स०वि०स०
7. श्री देवेश कान्त सिंह	स०वि०स०
8. श्री ई० शशि भूषण सिंह	स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची--

1. श्रीमती ख्याति सिंह	प्रभारी सचिव
2. श्रीमती पूनम सिन्हा	उप-सचिव
3. श्री शिव शंकर प्रसाद	अवर-सचिव
4. श्री राजीव रंजन कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्री शक्ति कुमार प्रसाद	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
6. श्री राजीव रंजन-III	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
7. श्री रामबाबू सिंह	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
8. श्रीमती सुषमा	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
9. श्री रवि शंकर	डाटा इंट्री ऑपरेटर
10. श्री अमित कुमार	डाटा इंट्री ऑपरेटर

दिनांक 05 जनवरी, 2024 को राजकीय आश्वासन समिति की हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यान्वित आश्वासनों की सूची --

क्रम सं०	आश्वासन सं०
1	746/21
2	1154/21
3	1180/21
4	1212/21
5	808/22
6	1503/22
7	1530/22
8	1550/22
9	2699/22

प्रतिवेदन

स्वास्थ्य विभाग

आश्वासन संख्या 746/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1846 (द-298), दिनांक 13 मार्च, 2021 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री सुरेन्द्र राम, स०वि०स० ।

प्रश्न—1. क्या यह बात सही है कि सरकारी सेवक के सेवाकाल में मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने का सरकारी प्रावधान है ;

2. क्या यह बात सही है कि स्व० सिताराम मिश्रा, चालक, रेफरल अस्पताल, मधेपुर, जिला-मधुबनी की मृत्यु दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 को उनके सेवाकाल में होने के उपरान्त स्व० मिश्रा की पत्नी श्रीमती मन्ना देवी द्वारा अपने द्वितीय पुत्र श्री घनश्याम मिश्रा की अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुर के समक्ष दिनांक 16 नवम्बर, 2019 को आवेदन समर्पित करने के पश्चात् अबतक इनकी नियुक्ति नहीं की गयी है ;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री घनश्याम मिश्रा की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--1. स्वीकारात्मक है।

2. वस्तुस्थिति यह है कि सिविल सर्जन, मधुबनी के पत्रांक 535, दिनांक 9 मार्च, 2021 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी को वांछित अभिलेख प्रेषित है। जिला अनुकम्पा समिति की आगामी बैठक के निर्णय के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

3. उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

(ज्ञाप संख्या 746-वि०स०, पटना, दिनांक 25 अगस्त, 2021 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 746, दिनांक 25 अगस्त, 2021 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 840 (4), दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-I पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 05 जनवरी, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 05 जनवरी, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1154/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2624 (द-243), दिनांक 19 मार्च, 2021 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री आलोक कुमार मेहता, स०वि०स० ।

विषय—1. सरकार के नीतिगत निर्णय के तहत निर्गत पत्रांक 10(1), दिनांक 8 जनवरी, 2021 द्वारा संविदा पर कार्यरत सभी प्रकार के चिकित्सकों का मानदेय एक समान किया गया है ;

2. एलोपैथ (M.B.B.S.) चिकित्सकों का मानदेय 13 फरवरी, 2019 के द्वारा बढ़ाकर 65,000 रु० महीना कर दिया गया है परन्तु आयुष चिकित्सकों का मानदेय अभी भी 44,000 रु० प्रति महीना दिया जा रहा है ;

3. तो आयुष चिकित्सकों का मानदेय M.B.B.S. चिकित्सकों के बराबर करने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--(1) ,(2) एवं (3) महोदय, मैं कहां कह रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ कि सरकार का यह बहुत पहले से निर्णय था कि जो हमारे एम०बी०बी०एस० के चिकित्सक हैं उनके बराबर आयुष चिकित्सकों को भुगतान किया जायेगा और उस समय विसंगति थी और उसी विसंगति को दूर करने के लिये उस कैबिनेट की बैठक में वह निर्णय करके, जिस दिन का वह निर्णय है, आप देख लीजियेगा उसी दिन एम०बी०बी०एस० डॉक्टरों को भी 44,000 मिलता था और उसके समतुल्य आयुष चिकित्सकों का 44,000 किया गया, उसके बाद में एम०बी०बी०एस० डॉक्टरों का वेतन बढ़ा है, तो हम आयुष के भी बढ़ाने के बारे में विचार रखते हैं, यह मैं कह रहा हूँ।

(ज्ञाप संख्या 1154-वि०स०, पटना, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1154, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 785 (आ०चि०), दिनांक 18 अगस्त, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-II पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 05 जनवरी, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 05 जनवरी, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1180/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2672 (द-319), दिनांक 19 मार्च, 2021 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री छत्रपति यादव, स०वि०स० ।

प्रश्न—1. क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया अस्पताल में सी०टी० स्कैन मशीन की सुविधा नहीं है, जिससे मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

2. क्या यह बात सही है कि अल्ट्रासाउण्ड, एक्स-रे एवं सी०टी० स्कैन मशीन है, जिससे मरीज एवं उनके परिजनों को काफी कठिनाई होती है ;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त अस्पतालों में कबतक वर्णित मशीनें लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--1. स्वीकारात्मक है।

2. आँशिक स्वीकारात्मक है। सदर अस्पताल, खगड़िया में एक्स-रे मशीन एवं अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध है। सी०टी० स्कैन मशीन के अधिष्ठापन हेतु कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है तथा अगले तीन माह में यह मशीन को अधिष्ठापित करने की योजना है।

3. उपर्युक्त खण्डों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

(ज्ञाप संख्या 1180-वि०स०, पटना, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1180, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1224(12), दिनांक 11 अगस्त, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-III पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 05 जनवरी, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 05 जनवरी, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1212/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2736 (द-320) दिनांक 19 मार्च, 2021 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री छत्रपति यादव, स०वि०स० ।

विषय—क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला अन्तर्गत सदर अस्पताल, खगड़िया परिसर में ए०एन०एम० स्कूल विगत तीन वर्षों की अधिक समयावधि से संचालित है, जिसमें छात्राएं स्वयं को असामाजिक तत्वों के भय से असुरक्षित महसूस करती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्कूल में चहारदीवारी (कांटेयुक्त), सी०सी०टी०वी० कैमरा एवं चहारदीवारी के चारों तरफ लाइट की व्यवस्था करने की दिशा में कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि सदर अस्पताल, खगड़िया के परिसर में अवस्थित ए०एन०एम० स्कूल विगत तीन वर्षों से संचालित है जिसमें वर्तमान में सी०सी०टी०वी० कैमरा एवं लाइट की पूरी व्यवस्था की गयी है।

ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान-सह-छात्रावास के चहारदीवारी के निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु रु० 1.00 करोड़ (एक करोड़ रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत है तथा निविदा का तकनीकी मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।

(ज्ञाप संख्या 1212-वि०स०, पटना, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1212, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1967 (6), दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-IV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 05 जनवरी, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 05 जनवरी, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 808/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 1512 (द-183), दिनांक 11 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री जितेन्द्र कुमार, स०वि०स० ।

प्रश्न—1. क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत अस्थावां प्रखण्ड मुख्यालय में अवस्थित अस्थावां रेफरल अस्पताल में एक्स-रे मशीन लगाया गया है ;

2. क्या यह बात सही है कि एक्स-रे मशीन चालू नहीं है, जिससे मरीज को परेशानी हो रही है ;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यथाशीघ्र एक्स-रे मशीन को चालू करने का विचार रखती है ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--(1) (2) एवं (3) स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि रेफरल अस्पताल, अस्थावां के जिस कमरे में एक्स-रे मशीन अधिष्ठापित किया गया है, उस कमरे के छत से पानी का रिसाव होने के कारण एक्स-रे मशीन चालू नहीं किया जा सका है। पानी का रिसाव समाप्त होने एवं छत व दीवार की नमी समाप्त होने के उपरान्त एक्स-रे की सुविधा यथाशीघ्र बहाल कर दी जायेगी ।

(ज्ञाप संख्या 808-वि०स०, पटना, दिनांक 23 जून, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 808, दिनांक 23 जून, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1219 (12), दिनांक 11 अगस्त, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-V पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 05 जनवरी, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 05 जनवरी, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1503/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 3083 (द-214), दिनांक 26 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री कृष्णनन्दन पासवान, स०वि०स० ।

प्रश्न—क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत तुरकौलिया प्रखंड के मधुरापुर पंचायत स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बंद है, स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सक नहीं रहने के कारण गरीब मजदूर वर्ग के रोगी को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्वास्थ्य केन्द्र चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत तुरकौलिया प्रखंड के मधुरापुर पंचायत से स्वास्थ्य उप-केन्द्र अवस्थित है। स्वास्थ्य उप-केन्द्र पर चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं होता है। परन्तु वहां श्रीमती पुष्पम कुमारी, ए०एन०एम० के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत सभी कार्यक्रमों यथा नियमित टीकाकरण, प्रसव पूर्व जाँच इत्यादि कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया जाता है ।

स्वास्थ्य उप-केन्द्र, मधुरापुर को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां आधारभूत संरचना का कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही उसे हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करते हुये होने वाले नियुक्ति में से सी०एच०ओ० को पदस्थापित किया जायेगा।

(ज्ञाप संख्या 1503-वि०स०, पटना, दिनांक 18 जुलाई, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1503, दिनांक 18 जुलाई, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1230 (4), दिनांक 14 अगस्त, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 05 जनवरी, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 05 जनवरी, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1530/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 3129 (द-258), दिनांक 26 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री विनय कुमार चौधरी, स०वि०स० ।

प्रश्न—1. क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा कोविड से हुयी मृत्यु में उनके आश्रितों को चार लाख मुआवजा की राशि देने की घोषणा की गयी थी ;

2. क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के प्रखंड अन्तर्गत (1) मोहम्मद जसीम अख्तर, पिता-मो० मुस्लिम, ग्राम-नया टोला भलनी, पोस्ट-शीशोडीह, थाना-मव्वीं ओपी, जिला-दरभंगा है, (2) लैला खातुन, पति-जफीरूल हसन, शहवाजपुर पंचायत के ग्राम-करहटिया-थाना, मव्वीं ओपी जिला-दरभंगा, (3) नसीमा खातुन पति-मो० अलाउदीन, ग्राम-शहवाजपुर, थाना-मव्वी ओपी, जिला-दरभंगा की मृत्यु क्रमशः 23 मई, 2021, 10 मई, 2021, 23 जुलाई, 2021 को हो गयी थी लेकिन अभीतक मृतकों के आश्रितों को मुआवजा की राशि नहीं मिली है ;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुआवजा की राशि मृतकों के आश्रितों को भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--(1) (2) एवं (3) प्रश्नगत मामले में सत्यापनोपरान्त 15 दिनों के अन्दर मृतक के निकटम आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

(ज्ञाप संख्या 1530-वि०स०, पटना, दिनांक 18 जुलाई, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1530, दिनांक 18 जुलाई, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1220 (12), दिनांक 11 अगस्त, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 05 जनवरी, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 05 जनवरी, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1550/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 3157 (द-295), दिनांक 26 मार्च, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री विनय कुमार चौधरी, स०वि०स० ।

प्रश्न—क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के अनुमंडल अस्पताल, बेनीपुर में अगस्त, 2021 में ही ब्लड बैंक की स्थापना के लिये सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है लेकिन अभीतक वहां ब्लड बैंक कार्य करना प्रारंभ नहीं किया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ब्लड बैंक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री---वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिले के अनुमंडल अस्पताल, बेनीपुर के रक्त केन्द्र का संयुक्त निरीक्षण सी०डी०एस०सी०ओ० (Central Drugs Standard Control Organisation) पूर्वी जोन, कोलकाता के द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2022 को सम्पन्न किया गया है। उक्त निरीक्षण में कतिपय कमियाँ प्रतिवेदित है। इन त्रुटियों के निराकरण के पश्चात् शीघ्र रक्त केन्द्र का संचालन अगले तीन माह में प्रारंभ करा दिया जायेगा।

(ज्ञाप संख्या 1550-वि०स०, पटना, दिनांक 18 जुलाई, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1550, दिनांक 18 जुलाई, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 892(15), दिनांक 11 अगस्त, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 05 जनवरी, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 05 जनवरी, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 2699/22

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 413 (द-44), दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता—श्री अली अशरफ सिद्दिकी, स०वि०स० ।

प्रश्न—1. क्या यह बात सही है कि बी०पी०एस०सी० के विज्ञापन संख्या 68/20 द्वारा निदेशक, इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 10 अगस्त, 2022 को विज्ञप्ति निकाली गयी जिसके आलोक में कुल 8 आवेदकों में से मात्र एक आवेदक के योग्य पाये जाने की सूचना आयोग के वेबसाइट पर दी गयी ;

2. क्या यह बात सही है कि बी०पी०एस०सी० द्वारा साक्षात्कार लिये जाने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या 312, दिनांक 13 जून, 2022 के द्वारा यह नियुक्ति तकनीकी सेवा आयोग द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया ;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बी०पी०एस०सी० द्वारा पूरी की जाने वाली शेष बचे साक्षात्कार की प्रक्रिया को तकनीकी सेवा आयोग द्वारा पूरी कराकर इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में निदेशक के पद पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--1. स्वीकारात्मक है।

2. स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 557 (17), दिनांक 31 जुलाई, 2014 द्वारा अधिसूचित इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, चिकित्सक सेवा नियमावली-2014 में निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के पद पर नियमित नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2016-17 में बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर निदेशक, इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना के पद पर नियमित नियुक्ति की गयी है। वर्ष 2020 में निदेशक, इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गयी अधियाचना पूर्व से अधिसूचित नियमावली के आलोक में भेजी गयी है।

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 312 (17), दिनांक 13 जून, 2022 द्वारा अधिसूचित इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा नियमावली, 2022 द्वारा निदेशक, इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना के पद पर नियमित नियुक्ति भविष्य में बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. राज्य के सभी सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों को स्वायत संस्थान बनाने तथा नियुक्ति एवं संचालन हेतु नियमावली बनाने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

(ज्ञाप संख्या 2699-वि०स०, पटना, दिनांक 17 अप्रील, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 2699, दिनांक 17 अप्रील, 2022 के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को वर्णित आश्वासन भेजा गया था । स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्रांक 1209 (17), दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-IX पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जिसपर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 05 जनवरी, 2024 को हुई बैठक में समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 05 जनवरी, 2024 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट–I

सं०-04/क्यू०-01/09-2021-1840 (4)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

(निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं)

प्रेषक

डॉ० निहारिका शरण,
निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण, लोक स्वा० पारा मेडिकल्स),
स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 (ई०)।

विषय-- माननीय श्री सुरेन्द्र राम, स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं०, द- 298 से उत्पन्न आश्वासन सं० 746/2021 के कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक माननीय श्री सुरेन्द्र राम, स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० 298 से उत्पन्न सरकारी आश्वासन सं० 746/21 के संबंध में कहना है कि सिविल सर्जन, मधुबनी के ज्ञापांक 3214, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 के द्वारा स्व० सीताराम मिश्र, भूतपूर्व चालक, रेफरल अस्पताल, मधेपुर, मधुबनी के पुत्र श्री घनश्याम मिश्र को अनुकम्पा के आधार पर तृतीय वर्ग में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुटौना में पदस्थापित कर दिया गया है।

वर्णित स्थिति में माननीय श्री सुरेन्द्र राम, स०वि०स० की मांग पर माननीय मंत्री द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन का क्रियान्वयन मानते हुये सरकारी आश्वासन सं० 746/21 को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
डॉ० निहारिका शरण,
निदेशक प्रमुख,
(रोग नियंत्रण, लोक स्वा० पारा मेडिकल्स)
स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना।

परिशिष्ट–II

सं०–16/क्यू०–1–10–2021–785 (आ०चि०)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
राजकीय आश्वासन समिति।

पटना, दिनांक 18 अगस्त, 2023 (ई०)।

विषय--श्री आलोक कुमार मेहता, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० 2624(द-243) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन संख्या 1154/21 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग--भवदीय पत्रांक 1154, दिनांक 02 सितम्बर, 2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री आलोक कुमार मेहता, माननीय स०वि०स० से तारांकित प्रश्न संख्या 2624(द-243) पर सरकारी उत्तर में सन्निहत आश्वासन संख्या 1154/21 का विषय संविदागत आयुष चिकित्सकों के मानदेय में वृद्धि से संबंधित है।

स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या 1216 (आ०चि०), दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक) चिकित्सकों का मानदेय 65,000 रु० प्रतिमाह निर्धारित कर दिया गया है।

उक्त के आलोक में आश्वासन संख्या 1154/21 को विलोपित करने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक --यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं०--16/सी1-68/2022-1216 (आ०चि०)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

दिनांक 28 अक्टूबर, 2022

स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक 1577 (आ०चि०), दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 द्वारा राज्य के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संविदा के आधार पर आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ) चिकित्सकों (एन०आर०एच०एम० एवं आर०बी०एस०के०) का मानदेय 44,000 (चौवालिस हजार) प्रतिमाह निर्धारित किया गया था। संविदागत आयुष चिकित्सकों का मानदेय संविदागत एलोपैथ चिकित्सकों के समान करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संविदा के आधार पर आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ) चिकित्सक (एन०आर०एच०एम० एवं आर०बी०एस०के०) का मानदेय एलोपैथ प्रक्षेत्र में मिल रहे चिकित्सकों के समान पुनरीक्षित किया जाता है--

पदनाम	पूर्व से निर्धारित मानदेय	परिवर्द्धित दर पर मानदेय
एन०आर०एच०एम० एवं आर०बी०एस०के० के तहत नियोजित आयुष चिकित्सक	44,000 (चौवालिस हजार) प्रतिमाह	65,000 (पैंसठ हजार) प्रतिमाह

प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेश से,
राम ईश्वर,
सरकार के अपर सचिव-
सह-महानिदेशक, आयुष ।

परिशिष्ट–III

सं०--12/प०-क्यू०-04-104/2021-1224 (12)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

आनन्द प्रकाश,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में

अवर-सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 11 अगस्त, 2023 (ई०)।

विषय--श्री छत्रपति यादव, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न संख्या 2672(द-319) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 1180/2021 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में ।

प्रसंग--बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक रा०आ०स०-35/21, 1180/वि०स०, पटना, दिनांक 02 सितम्बर, 2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्री छत्रपति यादव, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न संख्या 2672(द-319) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 1180/2021 (सदर अस्पताल, खगड़िया में सी०टी० स्कैन मशीन अधिष्ठापित करने के संबंध में) के प्रसंग में कहना है कि सदर अस्पताल, खगड़िया में सी०टी० स्कैन मशीन दिनांक 07 अप्रील, 2023 को अधिष्ठापित कराकर चालू करा दिया गया है एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन की तिथि तक कुल 702 रोगियों का नैदानिक परीक्षण किया जा चुका है। (असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया का पत्रांक 1802, दिनांक 04 जुलाई, 2023 संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि सरकारी आश्वासन सं० 1180/2021 को विलोपित करने हेतु राजकीय आश्वासन समिति से अनुरोध करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,

अनु०-यथोक्त ।

आनन्द प्रकाश,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

पत्रांक 1802

कार्यालय-असैनिक शल्य चिकित्सक-

सह-मुख्य चिकित्सा, खगड़िया

प्रेषक

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया ।

सेवा में

आनन्द प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

खगड़िया, दिनांक 04 जुलाई, 2023 (ई०)।

विषय--श्री छत्रपति यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या 2672(द-319) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 1180/2021 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग--भवदीय के पत्रांक 727(12), दिनांक 16 मई, 2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के क्रम में कहना है कि सदर अस्पताल, खगड़िया में सी०टी० स्कैन मशीन दिनांक 07 अप्रील, 2023 को Installation हुयी है तथा अबतक कुल 702 रोगियों की नैदानिक परीक्षण गयी है ।

सादर सूचनार्थ ।

विश्वासभाजन,

(ह0) अस्पष्ट,

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया ।

परिशिष्ट–IV

सं०-06/N-10-09/2021-1967 (6)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य निदेशालय

प्रेषक

डॉ० सुनील कुमार झा,
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना।

सेवा में,

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 (ई०)।

विषय-- श्री छत्रपति यादव, स०वि०स० के तारांकित प्रश्न संख्या द-320 में सन्निहित आश्वासन सं० 1212/2021 के अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खगड़िया जिला अन्तर्गत सदर अस्पताल के परिसर में निर्मित ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान-सह-छात्रावास के चहारदीवारी इत्यादि का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

विभागीय पत्रांक 403(6), दिनांक 17 मार्च, 2021 द्वारा दिया गया सरकारी आश्वासन कार्यान्वित किया जा चुका है।

अतः अनुरोध है कि इसे आश्वासन सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
डॉ0 सुनील कुमार झा,
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना।

परिशिष्ट–V

सं०--12/प०-क्यू०-04-47/2022-1219 (12)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

आनन्द प्रकाश,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में

अवर-सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 11 अगस्त, 2023 (ई०)।

विषय--श्री जितेन्द्र कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 11 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 2852(द-183), के उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 808/22 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग--बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक रा०आ०स०-31/2022, 808/वि०स०, पटना, दिनांक 23 जून, 2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्री जितेन्द्र कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 11 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2852 (द-183) के उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 808/22 के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि रेफरल अस्पताल, अस्थावां के जिस कमरे में छत के पानी से रिसाव होने के कारण एक्स-रे सेवा बन्द कर दी गयी थी, उस कमरे की मरम्मत एवं छत का वाटरप्रूफिंग माह नवम्बर, 2022 में पूर्ण कराते हुये एक्स-रे सेवा संचालित करा दिया गया है। (बी०एम०एस०आई०सी०एल० से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि सरकारी आश्वासन सं० 808/22 को विलोपित करने हेतु राजकीय आश्वासन समिति से अनुरोध करने की कृपा की जाये।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

आनन्द प्रकाश,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

पत्रांक-BMSIC/10065/141-2022/9756

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

विजय कुमार,
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना),
बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना।

सेवा में

आनन्द प्रकाश,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 03 मार्च, 2023 (ई०)।

विषय--श्री जितेन्द्र कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 11 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 2852(द-183) से उत्पन्न आश्वासन सं० 808/22 के कार्यान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग--स्वास्थ्य विभाग का पत्रांक सं०सं०-12/प०-क्यू०-04-47/2022-1089(12), दिनांक 18 जुलाई, 2022

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री जितेन्द्र कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 11 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2852(द-183) से उत्पन्न आश्वासन सं० 808/22 के उत्तर भेजने हेतु निदेश दिया गया, जिसके आलोक में उत्तर प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नक-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
विजय कुमार,
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)।

श्री जितेन्द्र कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 11 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 2852(द-183) से उत्पन्न आश्वासन सं० 808/22 ।

प्रश्न

श्री जितेन्द्र कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 11 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 2852(द-183) से उत्पन्न आश्वासन सं० 808/22 के उत्तर में माननीय मंत्री स्वास्थ्य के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि रेफरल अस्पताल, अस्थावां के जिस कमरे में एक्स-रे मशीन अधिष्ठापित किया गया है, उस कमरे के छत से पानी का रिसाव होने के कारण एक्स-रे मशीन चालू नहीं किया जा सका है।

बी०एम०एस०आई०सी०एल० के माध्यम से 30 दिनों के अन्दर कमरे की छत की मरम्मत कराकर एक्स-रे सुविधा बहाल कर दी जायेगी।

उत्तर

रेफरल अस्पताल, अस्थावां के जिस कमरे में छत से पानी के रिसाव की शिकायत प्राप्त हुयी थी, उस कमरे का मरम्मती एवं छत का वाटरप्रूफिंग माह नवम्बर, 2022 में ही पूर्ण कराते हुये एक्स-रे रूम संचालित किया जा चुका है।

परिशिष्ट–VI

सं०सं०--04/क्यू०-01-13/2022-1230 (4)

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं,

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० राकेश चन्द्र सहाय वर्मा,
निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण, लोक स्वा०, पारा मेडिकल्स)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना ।

सेवा में

अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 14 अगस्त, 2023 (ई०)।

विषय--माननीय श्री कृष्णनंदन पासवान स०वि०स० के तारांकित प्रश्न संख्या 1452 (द-214) से उत्पन्न सरकारी आश्वासन संख्या 1503/22 के कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक माननीय श्री कृष्णनंदन पासवान स०वि०स० के तारांकित प्रश्न संख्या 1452 (द-214) से उत्पन्न सरकारी आश्वासन संख्या 1503/22 के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत तुरकौलिया प्रखंड के मधुरापुर पंचायत में स्वास्थ्य उप-केन्द्र अवस्थित है, जिसे हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के रूप में संचालित किया जा रहा है, जहां सी०एच०ओ० श्री विवेक कुमार एवं ए०एन०एम० श्रीमती कविता कुमारी पदस्थापित/कार्यरत हैं। यहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत सभी कार्यक्रमों यथा नियमित टीकाकरण, प्रसव पूर्व जाँच एवं ओ०पी०डी० का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

वर्णित स्थिति में माननीय श्री कृष्णनंदन पासवान स०वि०स० की मांग पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन का क्रियान्वयन मानते हुये सरकारी आश्वासन सं० 1503/22 को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
डॉ० राकेश चन्द्र सहाय वर्मा,
निदेशक प्रमुख,
(रोग नियंत्रण लोक स्वा०, पारा मेडिकल्स),
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना।

परिशिष्ट–VII

सं०--12/प०-क्यू०-04-56/2022-1220 (12)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

आनन्द प्रकाश,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

अवर-सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 11 अगस्त, 2023 (ई०)।

विषय-- श्री विनय कुमार चौधरी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 25 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 3630(द-258) के उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 1530/22 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग-- बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक रा०आ०स०-39/2022, 1530/वि०स०, पटना, दिनांक 18 जुलाई, 2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्री विनय कुमार चौधरी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 25 मार्च, 2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3630(द-258) के उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 1530/22 के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत मामले में मृतक मो० जसीम अख्तर के आश्रित जरीना खातून, लैना खातून के आश्रित मो० अलाउद्दीन एवं नसीमा खातून के आश्रित मो० अख्तर अंसारी को 4,50,000 (चार लाख पचास हजार रु०) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है। (अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, दरभंगा 564, दिनांक 07 जून, 2023 की छायाप्रति संलग्न)।

अत: अनुरोध है कि सरकारी आश्वासन सं० 1530/22 को विलोपित करने हेतु राजकीय आश्वासन समिति से अनुरोध करने की कृपा की जाये।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

आनन्द प्रकाश,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

पत्रांक 564–जि०आ०प्र०

समाहरणालय, दरभंगा

(जिला आपदा प्रबंधन)

प्रेषक

अपर समाहर्ता,
आपदा प्रबंधन,
दरभंगा।

सेवा में

विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

लहेरियासराय, दिनांक 07 जून, 2023 (ई०)।

विषय--श्री विनय कुमार चौधरी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 26 मार्च, 2023 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3129(द–258) से उत्पन्न आश्वासन सं० 1530/2022 के उत्तर सामग्री भेजने के संबंध में ।

प्रसंग--आपके पत्रांक 165(12), दिनांक 09 फरवरी, 2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में वांछित उत्तर सामग्री निम्न प्रकार है:--

प्रश्न

1. क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा कोविड से हुयी मृत्यु में उनके आश्रितों को 4.00 चार लाख मुआवजे की राशि देने की घोषणा की गयी थी ;

2. क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के प्रखंड अन्तर्गत (1) मोहम्मद जसीम अख्तर, पिता-स्व० मुस्लिम, ग्राम-नया टोला, भलनी, पोस्ट-शीशों डीह, थाना-मब्बी ओपी, जिला-दरभंगा है । (2) लैला खातुन, पति-जफीरूल हसन, शहवाजपुर पंचायत के ग्राम-करहटिया, थाना-मब्बी ओपी जिला-दरभंगा, (3) नसीमा खातुन, पति-मो० अलाउद्दीन, ग्राम-शहवाजपुर, थाना-मब्बी ओपी, जिला-दरभंगा की मृत्यु क्रमशः 23 मई, 2021, 10 मई, 2021 एवं 23 जुलाई, 2021 को हो गयी थी लेकिन अभीतक मृतकों के आश्रितों को भुगतान नहीं मिली है ;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुआवजा की राशि मृतकों के आश्रितों को भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. उत्तर स्वीकारात्मक है।

2. मो० जसीम अख्तर के आश्रित जरीना खातुन को मो०4.50 (चार लाख पचास हजार रुपये) भुगतान कर दिया गया है। जिसका UTR संख्या RBI0882373791578 है। लैला खातुन के आश्रित मो० अलाउद्दीन को मो० 4.50 (चार लाख पचास हजार रुपये) भुगतान कर दिया गया है। जिसका UTR संख्या RBI0672342987318 है।

नसीमा खातुन के आश्रित मो० अख्तर अंसारी को मो० 4.50 (चार लाख पचास हजार रुपये) भुगतान कर दिया गया है। जिसका UTR संख्या RBI087237571587 है।

3. तीनों आश्रितों को मो० 4.50 (चार लाख पचास हजार रुपये) भुगतान कर दिया गया है।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अपर समाहर्ता,
आपदा प्रबंधन,
दरभंगा।

सं०-65/IDSP/2023

जिला स्वास्थ्य समिति, दरभंगा

प्रेषक

डॉ० अनिल कुमार,

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-सदस्य सचिव।

जिला स्वास्थ्य समिति, दरभंगा ।

सेवा में

विशेष कार्य पदाधिकारी,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

लहेरियासराय, दिनांक 06 जुन, 2023 (ई०)।

विषय-- श्री विनय कुमार चौधरी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 26 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या 3129 से संबंधित उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 165(12), दिनांक 09 फरवरी, 2023 के प्रश्न सं० 3129 के संबंध के निम्न विवरणी है :

प्रश्न

1. क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा कोविड-19 से हुयी मृत्यु में उनके आश्रितों को 4.00 चार लाख मुआवजे की राशि देने की घोषणा की गयी थी ;

2. क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के प्रखंड अन्तर्गत (1) मोहम्मद जसीम अख्तर, पिता-मो० मुस्लिम, ग्राम-नया टोला, भलनी, पोस्ट-शीशों डीह, थाना-मब्बी ओपी, जिला दरभंगा है, (2) लैला खातुन, पति-जफीरूल हसन, शहवाजपुर पंचायत के ग्राम-करहटिया, थाना-मब्बी ओपी जिला-दरभंगा, 3. नसीमा खातुन, पति-मो० अलाउद्दीन, ग्राम-शहवाजपुर, थाना-मब्बी ओपी, जिला-दरभंगा की मृत्यु क्रमशः 23 मई, 2021, 10 मई, 2021, 23 जुलाई, 2021 को हो गयी थी लेकिन अभीतक मृतकों के आश्रितों को मुआवजा की राशि भुगतान नहीं मिली है ;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुआवजा की राशि मृतकों के आश्रितों को भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. स्वीकारात्मक है।

2. दरभंगा सदर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-नया टोला भलनी के मोहम्मद जसीम अख्तर पिता-मो० मुस्लिम के नाम को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 6477, दिनांक 02 फरवरी, 2023 के द्वारा इनके नाम को अनुग्रह अनुदान राशि हेतु स्वीकृति दी गयी थी, जिसके आलोक में इनके परिजन को अनुग्रह राशि की भुगतान आपदा प्रबंधन, दरभंगा के द्वारा की जा चुकी है। (साक्ष्य संलग्न)।

(2) शहवाजपुर पंचायत के ग्राम-करहटिया निवासी लैला खातुन, पति-जफीरूल हसन के नाम को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 6111, दिनांक 18 जनवरी, 2023 के द्वारा इनके नाम को अनुग्रह अनुदान राशि हेतु स्वीकृति दी गयी थी, जिसके आलोक में इनके परिजन को अनुग्रह अनुदान राशि की भुगतान आपदा प्रबंधन, दरभंगा के द्वारा की जा चुकी है। (साक्ष्य संलग्न)।

(3) नसीमा खातुन, पति-मो० अलाउद्दीन, ग्राम-शहवाजपुर, थाना-मब्बी ओपी, जिला-दरभंगा के नाम को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 6111, दिनांक 18 जनवरी, 2023 के द्वारा इनके नाम को अनुग्रह अनुदान राशि हेतु स्वीकृति दी गयी थी, जिसके आलोक में इनके परिजन को अनुग्रह अनुदान राशि की भुगतान प्रबंधन, दरभंगा के द्वारा की जा चुकी है। (साक्ष्य संलग्न)।

3. हाँ (भुगतान किया जा चुका है।)

विश्वासभाजन,

डॉ० अनिल कुमार,

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-सदस्य सचिव।

परिशिष्ट–VIII

सं०-15/औ०-19-04-2022/892 (15)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

सुरेन्द्र राय,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 11 अगस्त, 2023 (ई०)।

विषय-- श्री विनय कुमार चौधरी, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० 17 पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 1550/22 के कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री विनय कुमार चौधरी, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न संख्या 17 पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 1550/22 के कार्यान्वयन प्रतिवेदन निम्नरूपेण है :--

वस्तुस्थिति यह है कि अनुमंडलीय अस्पताल, बेनीपुर को विभागीय पत्रांक 821 (15), दिनांक 31 अगस्त, 2022 द्वारा रक्त केन्द्र के लिये अनुज्ञप्ति निर्गत कर दी गयी है तथा रक्त केन्द्र का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि सरकारी आश्वासन सं० 1550/22 को लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन,
सुरेन्द्र राय,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

परिशिष्ट–IX

सं०-17/-क्यू०-1-29/2022-1209 (17)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

रेणु कुमारी,

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में

उप-सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

पटना, दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 (ई०)।

विषय-- श्री अली अशरफ सिद्दिकी, माननीय स०वि०स० के तारांकित प्रश्न सं० 413 (द-44) पर सरकारी उत्तर में सन्निहित आश्वासन सं० 2699/22 का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में ।

प्रसंग--आपका पत्रांक-रा०आ०स०-04/2023-2699/22 वि०स०, दिनांक 17 अप्रील, 2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को हुयी सदन की बैठक में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन सं० 2699/22, दिनांक 17 अप्रील, 2023 के आलोक में कहना है कि इन्दिरा गांधी ह्दय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली, 2023 का गठन के उपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 561(17), दिनांक 31 मई, 2023-सह-शुद्धि-पत्र पत्रांक 574(17), दिनांक 05 जून, 2023 द्वारा डॉ० सुनील कुमार, संयुक्त निदेशक, मेडिकल कार्डियोलॉजी, इन्दिरा गांधी ह्दय रोग संस्थान, पटना को निदेशक, इन्दिरा गांधी ह्दय रोग संस्थान, पटना के पद पर नियमित नियुक्ति की जा चुकी है।

अनुलग्नक--यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

रेणु कुमारी,

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

31मई, 2023

संचिका सं०--17/आई-01-01-2014/561 (17)-स्वा०—इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली 2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में डॉ० सुनील कुमार, संयुक्त निदेशक, मेडिकल कार्डियोलॉजी, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना सम्प्रति कार्यकारी निदेशक इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना को सम्यक् विचारोपरान्त निदेशक, इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना के पद पर नियमित नियुक्ति की जाती है।

2. में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

5 जून, 2023

संचिका सं०--17/आई-01-01-2014/574 (17) स्वा०—स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 561(17), दिनांक 31 मई, 2023 द्वारा डॉ० सुनील कुमार, संयुक्त निदेशक, मेडिकल कार्डियोलॉजी, इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना को निदेशक, इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना के पद पर नियमित नियुक्ति की गयी थी, जिसमें विशेष कार्य पदाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ लिपिकीय भूलवश तिथि 01 जून, 2023 अंकित हो गया है।

2. अतः उक्त अधिसूचना में विशेष कार्य पदाधिकारी का हस्ताक्षर के साथ अंकित तिथि 01 जून, 2023 के स्थान पर तिथि 31 मई, 2023 पढ़ा जाये।

3. उक्त अधिसूचना की शेष अंश यथावत् रहेंगे ।

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

बि०स०मु० 07 (एल०ए०) - 2025-26 डी०टी०पी० -- 300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026